मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-5

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 13 जनवरी, 2009 (पौष 23, 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार -

(क) वित्तीय वर्ष 2007-2008 की द्वितीय छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण,

(ख) वित्तीय वर्ष 2008-2009 की प्रथम छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण, तथा

(ग) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित (समापनांतर्गत) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 (दिनांक 19.01.2006 - 18.01.2007) तथा वर्ष 2007-2008 (19.01.2007 - 18.01.2008) पटल पर रखे।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-03-2008-तेरह, दिनांक 8 सितम्बर, 2008 पटल पर रखा।

(3) श्री जगन्नाथ सिंह, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखा।

2. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव की 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तद्नुसार -

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष तथा श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"श्री हरवंश सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय. "

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री आरिफ अकील, सदस्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया.

श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि -

"श्री हरवंश सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय."

श्री पारस दादा, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय ने श्री हरवंश सिंह को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित किया। सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष तथा पक्ष विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष महोदय को उनके आसन तक ले जाया गया। अध्यक्ष महोदय ने अपनी एवं सम्पूर्ण सदन की ओर से बधाई देकर उद्‌गार व्यक्त किये.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री तथा सर्वश्री रामलखन सिंह, श्री लक्ष्मण तिवारी तथा श्री अजय अर्जुन सिंह, माननीय सदस्यगण द्वारा श्री हरवंश सिंह को उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर बधाई देते हुए भाषण दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय ने उनके प्रति व्यक्त उद्‌गारों के लिये सदन के समस्त सदस्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की तथा महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

3. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण :-

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ है।"

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. नरोत्तम मिश्रा सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर दिनांक 12 जनवरी, 2009 को प्रारंभ हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(27) श्री लक्ष्मण तिवारी

(28) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा लोकसभा सदस्य श्री गणेश सिंह (सतना) की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित पर सदन की ओर से स्वागत किया गया)

4. नामनिर्दिष्ट समितियों का गठन

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203, 208 (1), 225 (1) तथा 232 के अधीन क्रमश कार्य मंत्रणा समिति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति और सदन समिति के लिए सदस्यों को वर्ष 2009-2010 की अवधि में सेवा करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया :-

कार्य मंत्रणा समिति

1. श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री
2. श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री
4. श्री राघवजी, वित्त मंत्री
5. श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री
6. श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री
7. श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

8. डॉ. नरोत्तम मिश्रा
9. श्री अंतर सिंह आर्य
10. श्री सज्जन सिंह वर्मा
11. श्री अजय अर्जुन सिंह
12. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
13. श्री रामलखन सिंह
14. श्री लक्ष्मण तिवारी

यह भी घोषित किया गया कि माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा, उक्त समिति के सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

(1) श्री रामचरित्र
(2) श्री कमल पटेल
(3) श्री जयसिंह मरावी
(4) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(6) श्री रत्नेश सॉलोमन
(7) श्री परसराम मुदगल

श्री जयसिंह मरावी, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

विशेषाधिकार समिति

(1) श्री ज्ञान सिंह
(2) कुंवर विजय शाह
(3) श्री रमेश सक्सेना
(4) श्री प्रेम सिंह पटेल
(5) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(6) श्रीमती शशि ठाकुर
(7) श्री सुभाष सोजतिया
(8) श्री यादवेन्द्र सिंह
(9) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
(10) भंवर राजा मानवेन्द्र सिंह

श्री ज्ञान सिंह, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

सदन समिति

(1) श्री रामदयाल अहिरवार
(2) श्री खुमान सिंह शिवाजी
(3) श्री देवी सिंह पटेल
(4) श्री जुगलकिशोर
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री हुकुम सिंह कराड़ा
(7) श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा

श्री खुमान सिंह शिवाजी, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(अपराह्न 12.58 बजे से 2.32 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 1 सन् 2009) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री निशिथ पटेल
(2) श्री दीपक कैलाश जोशी
(3) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू"

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 58 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 1 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(2) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री उमाशंकर गुप्ता
(3) श्री राजकुमार उरमलिया
(4) श्री सुनील जायसवाल
(5) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(6) श्री रामगरीब कोल
(7) श्री रामनिवास रावत
(8) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(9) श्री विश्वास सारंग
(10) श्री पारस दादा

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(2) श्री गिरीश गौतम
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्रीमती शशि ठाकुर
(5) श्री गोविन्द सिंह
(6) श्री राव देशराज सिंह
(7) श्री रामनिवास रावत
(8) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी
(9) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(10) श्री संजय पाठक
(11) श्री मदन कुशवाह
(12) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 61 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

5. वर्ष 2008-2009 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि सदन की परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और एक साथ चर्चा होती है. अतः वित्त मंत्री सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 19,20, 23, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 44, 47, 52, 55, 56, 58, 63, 64, 65, 67, 69, 75, 77 तथा 78 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार नौ सौ दो करोड़, चौरानवे लाख, सैंतीस हजार, नौ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता
(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
(4) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(5) श्री पारस दादा
(6) श्री गिरजाशंकर शर्मा
(7) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(8) श्री रामलखन सिंह
(9) श्री रामनिवास रावत
(10) श्री संजय शाह मकड़ाई
(11) श्री राव देशराज सिंह यादव

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

(12) श्री लक्ष्मण तिवारी
(13) सुश्री कल्पना परूलेकर
(14) श्री शंकरलाल तिवारी
(15) श्री अरूणोदय चौबे
(16) श्री बालाराम बच्चन

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) को सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

7. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर, निम्नानुसार उद्‌गार व्यक्त किये गये:-

"त्रयोदश विधान सभा का यह प्रथम सत्र आज समापन की ओर है। इस सत्र को नव निर्वाचित माननीय सदस्यों के शपथ ग्रहण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण और शासकीय कार्य के लिए आमंत्रित किया गया था। सदन ने यह कार्य पूर्ण कर लिया है। मैं आप सभी को जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आने के लिए हृदय से बधाई देता हूं।

हमारा और आपका सबका उद्देश्य इस प्रदेश का विकास, जन-जन का कल्याण और घर-घर में खुशहाली लाने का है। हम चाहे किसी भी राजनैतिक दल से जुड़े हों, चाहे किसी भी विचारधारा के हों सबका अंतिम लक्ष्य जन-कल्याण और प्रदेश का विकास ही है। मैं पूरे सदन से अपेक्षा करूंगा कि इस भावना के अनुरूप ही हमेशा कार्य करें तभी इस सदन की भी गरिमा बढ़ेगी, जनता का अपने प्रतिनिधियों पर विश्वास बढ़ेगा और हम सच्चे जन-प्रतिनिधि के रूप में अपने आपको सिद्ध कर सकेंगे। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बार 108 नए विधायक पहली बार चुनकर आये है यह संख्या काफी है जिससे पता चलता है कि सदन में नई ऊर्जा का सूत्रपात हुआ है। हमें, जनता को तथा पूरे प्रदेश को इनसे कई अपेक्षाएं हैं।

जैसी कि परम्परा रही है कि नव निर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तद्‌नुसार कुछ दिनों के बाद यह प्रबोधन कार्यक्रम रखा जायेगा जिसमें जन प्रतिनिधियों को विधान सभा की कार्य पद्धति की जानकारी दी जायेगी। इसमें यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जो नये विधायक पहली बार चुनकर आये हैं उनके लिए पृथक् से प्रबोधन कार्यक्रम रखा जाय। इसके लिए वरिष्ठ विधायकों एवं पहली बार चुने गये सांसदों को भी बुलाकर उनके अनुभवों का लाभ दिलाया जाय जिससे कि नये जन-प्रतिनिधि प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं और विधायी कार्यों को समझ सकें तथा अपने क्षेत्र एवं प्रदेश के विकास के लिए सार्थक पहल कर सकें।

विधान सभा का अगला सत्र जब होगा तो वह बड़ा सत्र होगा जिसमें माननीय सदस्यों को शासकीय तथा अशासकीय कार्य करने के अनेक अवसर मिलेंगे। मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि वे अपने आपको अपने कार्य में दक्ष सिद्ध कर सकेंगे। इस सत्र के संचालन में सहयोग के लिए मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के माननीय सदस्यों एवं समस्त सदस्यों, मीडिया कर्मियों, शासन तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों-कर्मचारियों को धन्यवाद् देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी तरह सहयोग प्रदान करेंगे।

आने वाले गणतंत्र दिवस पर मैं आपको और प्रदेश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिन्द।"

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष, श्री रामलखन सिंह, श्री लक्ष्मण तिवारी तथा उपाध्यक्ष महोदय ने भी समापन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये।

8. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान **"जन-गण-मन"** का समूह गान किया गया।

अपराह्न 7.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.